

18

प्रस्तावित वन भूमि के एन०पी०वी० के संशोधन के उपरान्त बढी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या - File No. 5-312011-1-C (Vol-I) Dtd. 06-01-2022 के क्रम में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य से प्रभावित 11.790 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु माँग की गयी एन०पी०वी० की धनराशि की दर में भविष्य में भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि का भुगतान पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।


अधिसाक्षी अभियंता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

अधिसाक्षी अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लोक निर्माण विभाग सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित



राज्यीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सबईसंग - सोनभद्र